

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास, पालारिवट्टम पी.ओ, कोच्ची-682025, केरल, भारत
फोन: 0484-2333610-615, वेबसाइट: www.indianspices.com

**जेम बोली सूचना: राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, निजामाबाद में मासिक आधार पर
वाहन किराए पर लेने के लिए।**

बोली संदर्भ संख्या: एसबी-एनटीबी/प्रशा./अध्यक्ष/स्था./2025-26

जारी करने की तिथि: 12 सितंबर 2025

जारी करने वाला प्राधिकरण:
सचिव, स्पाइसेस बोर्ड भारत के लिए,
उप निदेशक
स्पाइसेस बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय
निज़ामाबाद, तेलंगाना, भारत-503001
ई-मेल: sbnzb2015@gmail.com

1. बोलीदाताओं के लिए सामान्य जानकारी और निदेश

स्पाइसेस बोर्ड भारत, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के लिए प्रतिष्ठित, अनुभवी और वित्तीय रूप से मजबूत ठेकेदारों/मालिकों/एजेंसियों से दो-बोली प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करता है - जिसमें एक तकनीकी बोली और एक वित्तीय बोली शामिल है - जीएफआर 2017 के नियम 149 के अनुसार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, विनायक नगर, डिचपल्ली, निजामाबाद रोड, पंगरा बी. बोरगांव, एफसीआई कॉलोनी, निजामाबाद-503230 के आधिकारिक उपयोग के लिए मासिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने के लिए।

अनुबंध प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा बोर्ड कार्यालय की परिचालन आवश्यकताओं के अधीन, निविदा दस्तावेज में उल्लिखित संख्या में वाहन किराये पर ले सकता है।

योग्य और इच्छुक बोलीदाता जो GeM बोली में उल्लिखित विनिदेशों को पूरा कर सकते हैं और निर्धारित शर्तों से सहमत हैं, उन्हें इस निविदा सूचना में दिए गए दिशानिदेशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बोली दस्तावेज पूरी तरह से भरे हुए, विधिवत हस्ताक्षरित हों और निविदा सूचना में निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय से पहले GeM पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हों।

2. किराये पर लिए जाने वाले वाहनों का विवरण:

क्र.सं	श्रेणी	आवश्यक वाहनों की संख्या	उपयोग/किलोमीटर
1	एमयूवी/एसयूवी (इनोवा क्रिस्टा या समकक्ष)	1	2000 किमी x 300 घंटे प्रति माह

बोलीदाताओं के लिए निदेश

3. सामान्य निबंधन और शर्तें

1. ठेकेदार/मालिक/एजेंसी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कार्यालय, विनायक नगर, डिचपल्ली, निजामाबाद रोड, पंगरा बी, बोरगांव, एफसीआई कॉलोनी, निजामाबाद 503230 पर एक एसी एसयूवी/एमयूवाई वाहन (इरमोया क्रिस्टा या समकक्ष) उपलब्ध कराना होगा, जिसमें टैक्सी परमिट (2 वर्ष से कम पुराना) (अधिमानत: सफेद रंग का), उत्कृष्ट स्थिति में, ईंधन और एक वैध लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर शामिल होगा।
2. ठेकेदार/मालिक/एजेंसी का तेलंगाना में पंजीकृत कार्यालय या शाखा कार्यालय होना चाहिए। तेलंगाना स्थित कार्यालय के पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
3. ठेकेदार/मालिक/एजेंसी के पास केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वाहन किराये पर देने की सेवाएँ प्रदान करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। संबंधित अनुबंधों की प्रतियाँ। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान सेवाएँ प्रदान करने के समर्थन में कार्य आदेश बोली के साथ अपलोड किए जाने चाहिए।
4. ठेकेदार/मालिक/एजेंसी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार कम से कम 48 लाख रुपये होना चाहिए। कारोबार विवरण की एक प्रति, साथ ही [टीआर], निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
5. एक स्व-प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि फर्म को किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार विभाग/

मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

6. सभी ईंधन, मरम्मत, रखरखाव, व्यापक बीमा, टोल, पार्किंग शुल्क, कर और ड्राइवर का वेतन का भुगतान एजेंसी की ज़िम्मेदारी होगी। दुर्घटना की स्थिति में, सभी मरम्मत ठेकेदार/मालिक/एजेंसी द्वारा मसाला बोर्ड (राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के लिए) के प्रति किसी भी दायित्व के बिना और बिना किसी देरी के की जाएगी।
7. यदि मरम्मत या ड्राइवर की अनुपलब्धता के कारण वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो उसी मॉडल/श्रेणी का प्रतिस्थापन वाहन और ड्राइवर बिना किसी देरी के उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
8. ड्राइवर द्वारा एक दैनिक लॉगबुक बनाई जानी चाहिए तथा उसे नामित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जिसमें उपयोग किए गए किलोमीटर और घंटों का विवरण शामिल होना चाहिए।
9. वाहन का उपयोग आवश्यकतानुसार बाहरी ड्यूटी (निज़ामाबाद के बाहर) के लिए किया जा सकता है। ठेकेदार अंतर-राज्यीय परमिट, टोल और पार्किंग से संबंधित सभी लागतें वहन करेगा।
10. ड्राइवर अनुभवी होना चाहिए, अच्छी वर्दी पहने होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, तथा बातचीत के लिए मोबाइल फोन रखना चाहिए। ड्राइवर किसी भी टीए/डीए/हॉल्ट भत्ते/दैनिक भत्ता आदि के हकदार नहीं होंगे।
11. उद्धृत दर प्रथम 2000 किलोमीटर x 300 घंटे प्रति माह के लिए करें सहित होगी, यदि कोई अतिरिक्त किलोमीटर/घंटे हो तो उसके लिए अलग दर होगी।
12. यदि मासिक चलने वाले किलोमीटर और/या चलने के घंटे निर्धारित सीमा से कम हैं, तो सेवा शुल्क आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा।
13. उद्धृत दर अनुबंध अवधि के लिए निश्चित होनी चाहिए। किसी भी कारण से मध्यावधि वृद्धि पर विचार या प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।
14. भारतीय मसाला बोर्ड (राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के लिए) किराये/अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी क्षति/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वाहन का व्यापक बीमा अनिवार्य है।
15. उद्धृत दर एक (01) वर्ष के लिए वैध रहेगी, और यदि आवश्यक हो तो अनुबंध को समान शर्तों और दरों के साथ एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
16. अपूर्ण बोलियां या उपरोक्त दस्तावेजों के बिना बोलियां बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर दी जाएंगी।
17. भारतीय स्पाइसेस बोर्ड (राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के लिए) एक सप्ताह के नोटिस के साथ किसी भी समय अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
18. भारतीय स्पाइसेस बोर्ड (राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के लिए) बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
19. भुगतान शर्तें, i) ठेकेदार को भुगतान की व्यवस्था के लिए मासिक आधार पर (अर्थात्, माह पूरा होने के बाद) दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत करना होगा।
ii) भुगतान की व्यवस्था लागू करें और अन्य कटौतियों, यदि कोई हो, को घटाने के बाद की जाएगी।
20. मसाला बोर्ड अपने विवेकानुसार बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने/निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
21. संविदा/अनुबंध से उत्पन्न या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को तेलंगाना में उत्पन्न माना जाएगा और केवल तेलंगाना की अदालतों को ही उनका निर्धारण करने का अधिकार होगा।
22. यह निविदा दस्तावेज़ तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके प्रत्येक पृष्ठ के नीचे बोलीदाता के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसका अर्थ यह होगा कि बोलीदाता इसमें उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हो गया है और ये सभी नियम और शर्तें, निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ, चयनित सेवा प्रदाता पर बाध्यकारी होंगी।
23. बोलियों का प्रमाणीकरण: बोली टाइप की हुई होगी और बोलीदाता या बोलीदाता को अनुबंध से जोड़ने

के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी। प्राधिकरण प्रस्ताव के साथ लिखित पवर ऑफ अटॉर्नी के रूप में होगा या किसी अन्य रूप में होगा जो यह दर्शाया जाएगा कि प्रतिनिधि को हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है। बोली के सभी पृष्ठों पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अपने आद्याक्षर और मुहर लगाई जाएगी।

24. बोलियों में अन्तराल-रेखांकन: बोली में कोई अन्तराल-रेखांकन, मिटाना या अधिलेखन नहीं होगा, सिवाय इसके कि बोलीदाता द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में ऐसे सुधारों पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आद्याक्षर किए जाएंगे और मुहर लगाई जाएगी।

बोली प्रक्रिया

4. बोली कैसे प्रस्तुत करें

4.1.0 बोलियां दो भागों में प्रस्तुत की जाएंगी, अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली, जैसा कि क्रमशः अनुलग्नक क और अनुलग्नक ख में विस्तृत रूप से बताया गया है।

4.1.1 बोलियों का खुलना: सबसे पहले तकनीकी बोलियाँ खोली जाएँगी और बोलीदाताओं को या तो स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएँगी जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करेंगे। इस निविदा सूचना के अंतर्गत सेवाओं की खरीद या आउटसोर्सिंग की पूरी प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार "अनिवार्य" के रूप में GeM के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। सभी बोलीदाताओं को नीचे "महत्वपूर्ण तिथियाँ" में उल्लिखित तिथि और समय तक <https://gem.gov.in> पर अपनी बोलियाँ ऑनलाइन जमा करनी होंगी। निविदा बॉक्स में बोलियाँ डालने या हाथ से, डाक से या काउंटर से भेजी गई बोलियाँ प्राप्त करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इस कार्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा भेजी या प्राप्त की गई बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

4.1.2 तकनीकी बोली में निम्नलिखित शामिल होंगे

- बोलीदाता उपरोक्त अध्याय-3 के अनुसार पात्र होना चाहिए
- पात्रता प्रमाणित करने वाले सभी दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ संलग्न करने होंगे।
- प्रत्येक पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर के साथ निबंध एवं शर्तों की स्वीकृति।

4.1.3 वित्तीय बोली

वित्तीय बोली विशेष रूप से GeM पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

तकनीकी बोली में वित्तीय जानकारी का समावेश होने पर बोली को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4.1.4 दर उद्धरण: ठेकेदारों/एजेंसियों को एक वाहन किराए पर उपलब्ध कराने के लिए प्रति वाहन, प्रति माह (2000 किमी x 300 घंटे) के आधार पर दर उद्धृत करनी होगी। बोलीदाताओं को अपना उद्धरण केवल भारतीय रुपये में प्रस्तुत करना होगा। दर शब्दों और अंकों दोनों में उद्धृत की जानी चाहिए।

अनुबंध का कुल मूल्य:

आधिकारिक उपयोग के लिए किराए पर लिए गए वाहन को उपलब्ध कराने के लिए इस निविदा के तहत एक वर्ष के लिए कुल अनुबंध मूल्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

4.1.5 जीएसटी अनुपालन: बोली की कीमतों में जीईएम प्रणाली के अनुसार जीएसटी शामिल है। जीएसटी भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

4.1.6. बोली वापसी: कोटेशन वापस लेने का अनुरोध निर्धारित खुलने के समय से कम से कम 24 घंटे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.1.7. एल-1 बोलीदाता का चयन: यदि एक से अधिक बोलीदाताओं को जीईएल पोर्टल में एल-1 रैंक दिया गया है या कई एल-1 बोलीदाताओं ने एक ही कीमत उद्धृत की है, तो एल-1 बोलीदाताओं के बीच चयन रैंडम माध्यम GeM प्रणाली द्वारा निष्पादित एल्गोरिथम/L1 चयन चलाएँ (ऑटो रण) विकल्प से किया जाएगा।

5. महत्वपूर्ण तिथियां;

बोली प्रारंभ तिथि : 12.09.2025 को
बोली समाप्ति तिथि : 24.09.2025 को 13:00 बजे
बोली खोलने की तारीख : 24.09.2025 को 13:30 बजे

5. अनुलग्नक 'क' - तकनीकी बोली

बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट
(प्रत्येक प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजों को GeM पोर्टल पर अपलोड किया जाना है)

5.1.0 सेवा प्रदाता का नाम, पता और संपर्क नंबर

5.1.1 प्रस्तावित वाहन का नाम और मॉडल।

5.1.2 वाहन स्वामित्व/पंजीकरण विवरण (अंडरटेकिंग के साथ अनुलग्नक-ई के अनुसार संलग्न करें)।

5.1.3. सरकारी विभागों/बोर्डों के साथ प्रासंगिक अनुभव (अनुलग्नक-एफ के अनुसार विवरण संलग्न करें)

5.1.4. वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति

5.1.5 क्षति/देयताओं के विरुद्ध एनटीबी को क्षतिपूर्ति देने का वचन (एजेंसी के लेटर हेड पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई)।

5.1.6. निविदा दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाए।

5.1.7. पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2020-25) में से तीन वर्षों के दौरान 48 लाख रुपये का औसत वार्षिक कारोबार दर्शाने वाला दस्तावेज़, (बोली खुलने से पहले मार्च का महीना समाप्त)

5.1.8. तेलंगाना में पंजीकृत कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमाण

6. अनुलग्नक ख: वित्तीय बोली

(हस्ताक्षरित करके GeM पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाना है)

क्रम सं	वाहन का पंकार	200 कि.मी x 300 घंटे के लिए मासिक शुल्क जीएसटी सहित(रुपये में) (क)	प्रति कि.मी अतिरिक्त शुल्क (2000 कि.मी से अधिक) जीएसटी सहित(रुपये में) (ख)	प्रति घंटे अतिरिक्त शुल्क (300 घंटों से अधिक) जीएसटी सहित(रुपये में) (ग)	बाहरी यात्रा के लिए रात्री शुल्क* जीएसटी सहित(रुपये में) (घ)	कुल (क+ख+ग) जीएसटी सहित(रुपये में)
1	एसयूवी/ एमयूवी (इनोवा क्रिस्टल या समकक्ष)		25 रुपये/कि.मी	रु 133/घंटा		

*बाहरी यात्रा के लिए रात्रि शुल्क: बाहरी यात्रा की स्थिति में, अतिरिक्त रात्रि शुल्क लागू होंगे। GeM पोर्टल पर वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय, बोलीदाता को उपरोक्त तालिका के कॉलम 'घ' के अंतर्गत प्रति रात्रि के आधार पर बाहरी शुल्क स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। ये शुल्क कुल राशि की गणना से बाहर रखे जाएँगे, जिसमें केवल मासिक शुल्क, अतिरिक्त किलोमीटर शुल्क और अतिरिक्त घंटे शुल्क शामिल होंगे। बाहरी रात्रि शुल्क, जहाँ भी लागू हो, वास्तविक आधार पर ही वसूल किए जाएँगे।

टोल शुल्क, पार्किंग शुल्क या प्रवेश कर का भुगतान, भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर वास्तविक आधार पर किया जाएगा।

अनुलग्नक-ग

नियमित ड्राइवरों का विवरण

(ड्राइवर के विवरण की विधिवत सत्यापित प्रतियां भारतीय स्पाइसेस बोर्ड (राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के लिए) को मासिक किराये की सोवाओं के लिए प्रदान की जानी हैं।

क्रम सं	ड्राइवर का नाम	लाइसेंस नंबर	जारी करने वाला प्राधिकरण	जारी करने की तिथि	तक वैध है	निजी/ व्यावसायिक
1						
2						
3						
4						
5						

अनुलग्नक-घ

उपलब्ध कराया जाने वाला वाहन एसयूवी/एमयूवी होगा, जो अनुबंध प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(प्रत्येक वाहन के लिए आर.सी, बीमा और पी.यू.सी की सुअ्य प्रतियां संलग्न करें)

क्रम सं	पंजीकरण संख्या	स्वामित्व/ पट्टे/किराए पर	बनावे और मोडल	विनिर्माण तिथि	बीमा संख्या एवं वैधता	पी.यू.सी संख्या एवं वैधता
1						
2						
3						
4						
5						